



कार्यालय विहित प्राधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) सीकर

क्रमांक : 819-825

/राजस्व/06

दिनांक 04.11.2006

संपरिवर्तन - आदेश

प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन पालवास रोड, ग्राम नानी जरिये श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा जाति जाट तह0 सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र व पेरा-फेरी बेल्ट कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 8(2)(8)(3) व राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2000 के अधीन अकृषि प्रयोजनो के लिये इसके द्वारा संस्थानिक संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:-

- 1 आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता
प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, पालवास रोड, सीकर गांव - नानी जरिये श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा जाति जाट सीकर नहीं
- 2 क्या आवेदक अनु0 जाति या अनु0 जनजाति का सदस्य है:
नानी, ग्राम पंचायत नानी, तह0 सीकर
- 3 संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:
(क)ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम
(ख)भूमि का खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हैक्टर में)
(ग) प्रत्येक खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमी0 में)
ख0 नं0 1392/965 रकबा 0.56 हैक्टर
ख0 नं0 1392/965 रकबा 0.56 हैक्टर अर्थात 5600 वर्ग मीटर
- 4 संपरिवर्तन का प्रयोजन
नक्शा की सत्यापित प्रति संलग्न है।
संस्थानिक रूपान्तरण, शिक्षण कार्य हेतु
- 5 सदेय प्रीमियम की दर
10.00 रु. प्रति वर्गगज 5000 वर्गगज तक व शेष 1699 वर्गगज का आधी 05.00 रु. प्रति वर्गगज से

PHOTO COPY
TRUE COPY
NOTARY PUBLIC
BIKANER-RAJASTHAN

साचिव

प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन
पालवास रोड, सीकर

साचिव

- 6 चालान की सं० तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम
- 7 चालान की सं० तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम
- 8 चालान की सं० तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम
- 9 क्या आदेश नियमितकरण के नियम 12 के अधीन जारी किया गया है।
- 10 अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो
- 11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा:

1. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
 3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
 4. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपभोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा
- संपरिवर्तित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य हाइवे प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर निर्धारित दुरी व उचाई तक ही किया जाना वैध होगा।

क्रमांक: 819-825/राजस्व/2006
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सीकर
 2. तहसीलदार, सीकर
 3. जिला राजस्व लेखाकार जिला कार्यालय सीकर
 4. सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का नानी
- 15/ आवेदक - प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर ऐज्युकेशन, पालवास रोड, सीकर गांव नानी जरिये श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा



चालान नं० 484 दिनांक 3-11-2006 के द्वारा संस्थानिक रूपान्तरण शुल्क 58,495.00 रुपये व शास्ति 25 प्रतिशत की दर से 7000 वर्गफुट का 14,617.00 रु., कुल रुपये 73,112.00 राज्य कोष में जमा हो चुके हैं।

कोई नहीं

नहीं



41/11/06
खण्ड अधिकारी, सीकर
दिनांक: 4-11-2006

41/11/06
उप खण्ड अधिकारी, सीकर

नगर सुधार न्यास, सीकर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख



वर्ष आज वर्ष 2014 के माह अक्टूबर के 13

नगर सुधार न्यास, सीकर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है)

सर्व श्री श्रीमं एफ़ेडमि आफ टाउन एड्युकेशन समिति जिरिमे अच्यदा डॉ.

पिपूष सुन्डा 5% गोपाल सिंह जाति HAT व्यवसाय

इधामपुरा तह. धौद जिला सीकर

(जिनके नाम के बाद निम्नलिखित संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निरंतर प्रतिनिधि और

उल्लेख भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है। प्रीमियम राशि 77515/- विकास शुल्क 10233350/-

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित किए जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना

नं. 1663/955-1/1666/956 क्षेत्रफल 81.59 चौ. मी. में स्थित है और जो नगर और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक शर्तों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखता है:-

इस नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम

अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 77515/- अनिवार्य रूप से 10% पर 10% अंके तक 5% तक मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को धरते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

यदि नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे स्थान पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धिप्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।

भूखण्ड का उपयोग केवल शहरी प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

यदि पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अन्तर्गत बढा दी जायें, लीजधारक के द्वारा उक्त भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

यदि उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तों और अन्य शर्तों के आवश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्ररनगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा अदा किया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी स्थिति में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं शर्तों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।

यदि उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरण के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय या दान विलेख, या बसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये के नोट की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी; परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस नहीं की जायेगी।

यदि उक्त भूखण्ड के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, अन्तरण/बाह्य विकास प्रभारों का कोई भी अन्तरण भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की वसूली में बाधक सिद्ध हो तो वसूलीय होगा।

प्रमाणित फोटो प्रति
 उष पंजीयक, सीकर

9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरनिष्ठा में उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहत करण प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की मुकदमा लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

परिशिष्ट

करखे का नाम : सी.के.ए.
 राजस्व ग्राम : वाडी
 खसरा नम्बर : 1663/955 व 1666/956
 योजना का नाम :
 विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
 वर्ग गज/मीटर 8159.44 वर्ग गज

पूर्व 1664 , 1667 पश्चिम A.C. Land भूखण्ड
 की संख्या 955 , 956 यदि कोई हो
 सीमा उत्तर दक्षिण Road 80 Feet
 मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से



अधिकाधिकार हस्ताक्षर एवं मोहर
 नगरीय निकाय प्रथम पक्ष
 सचिव
 (सदम अधिकारी)

साक्षी :-

1. नाम संदीप माटिया पुत्र जगदीश माटिया
 व्यवसाय गौरी निवास स्थान आम्बेडकर गजल सीक
 साक्षी के हस्ताक्षर
2. नाम मनीष पारीक पुत्र बालदेवरूप पारीक
 व्यवसाय गौरी निवास स्थान मुभाष चौक सीक

आज सन् 20 14 के माह अ.प्र.व.क के 13 वें दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री प्रांस ए कैडमी ऑफ एज्युकेशन समिति लीजधारक द्वारा कार्यालय U.I.T. में हस्ताक्षर किये गये।

साक्षी :-

1. नाम जोगिन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह
 व्यवसाय सखा ल्यालक निवास स्थान इमामपुरा - सीकर
 साक्षी के हस्ताक्षर
2. नाम राजेश कुमार पुत्र गौरा एम
 व्यवसाय शिक्षक निवास स्थान क्राकड़ - मु-मु-मु
 साक्षी के हस्ताक्षर

TOTAL AREA
 8159.44 sq.
 6822.33 sq.

SAC Engin
 कोमिण्ड
 नगर सुध
 सीकर